न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 71/2020 (उदयपुर डिक्री)

बाबरू पिता हांजा जी रेबारी, निवासी डेडरों की ढ़ाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर जरिये अधिकारग्रहिता फूल शंकर मेनारिया पिता अम्बालाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
11–03–2020 प्रकरण सं0 112/2019

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 26–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेडरों की ढाणी में आराजी नंबर 203 रकबा 5 बीघा स्थित है, जो वादी के पिता हांजा को दिनांक 28–10–1977 को गैरखातेदारी हक से आवंटित हुई थी तथा दिनांक 20–12–1978 को नामान्तरकरण संख्या 118 से वादी के पिता खातेदार होकर काबिज हुए, उसके पश्चात् वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी के हाल नंबर 433, 435, 436, 438 व 439 बने हैं, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के बिलानाम दर्ज कर दिया। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06[illegible]16 को वादी का खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

हाजा द्वारा दिनांक 25–04–2017 को रिमाण्ड की गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर दिनांक 11–03–2020 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–12–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें लॉकडाउन के बाद हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट के पिता हांजा को विवादित आराजी नंबर 203 रकबा 5 बीघा का नियमन किया जाकर नामान्तरकरण भी उनके नाम स्वीकृत हुआ। तब से वादी का कब्जा होकर मालिक काबिज है। राजकीय कर्मचारियों की गलती से भूमि बिलानाम दर्ज हो गयी, जिससे वादी के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। वादी ने अपने बयानों व दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद को साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री क निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है, जिसका आवंटन नियमों के विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श ए–1 में विवादित आराजी नंबर 433, 435, 436, 438 व 439 बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी नंबर 1 के विवेचन में यह अंकित किया है कि ''यद्यपि वादी के पिता को 1978 में 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से आवंटित हुई है, परन्तु इसके बाद खातेदारी हक देने का कोई विवरण नहीं है। साक्ष्यों से भी यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व उक्त आराजियात जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 में चारागाह दर्ज थी। चारागाह भूमि पर आवंटन नियमों के विरूद्ध है। यद्यपि जमाबन्दी संवत् 2030 सं 2033 में वही आराजी बिलानाम के रूप में दर्ज है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–03–2020 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

बाबरू पिता हांजा जी रेबारी, नि. डेडरों का ढ़ाणी जरिये अधिकारग्रहिता फूलशंकर पिता अम्बालाल मेनारिया, नि. पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**71 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**11**.....माह.....**03**.....**2020**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–03–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested